

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण स0:- 544/2023

अनवान : -

1. घड़सीराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर नोहर।

- वादी

बनाम्

1. गायत्री देवी पुत्री रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. दिनेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. भगवन्ती देवी पुत्री रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. भीमराज पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. लालचन्द पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सोना पत्नी रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
8. चन्द्रकला उर्फ चन्द्रावली पुत्री महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
9. भादरराम पुत्र महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
10. मन्जु पुत्री जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
11. मेवा देवी पुत्री महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
12. मांगीलाल पुत्र महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
13. कलावती पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
14. भंवरी देवी पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
15. सावत्री पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
16. हेमलता पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
88, 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 23/09/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिनियमता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत इस आशु पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट

Zahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादीगण तथा लिछमा के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में लिछमा व वादी तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। लिछमा का देहान्त हो चुका है लिछमा के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 हैं जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगडा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 भूमि में लिछमा का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के व प्रतिवादीगण तथा लिछमा के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है व वाद भूमि का मुताबिक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अत इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि व खाता स0 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. घड़सीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति— सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता ऑफ इंडिया शाखा नोहर खाता) स्टेट बैंक इंडिया शाखा नोहर—(खाता संख्या 36) प.म. 22 एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 61 कि.न. 16/1 की 0.0250 रास्ता

Rahul
उपजण्ड अधिकारी
नोहर

- 16/2 की 0.2280 हे. मु.न. 60 कि.न. 19/1 की 0.1012 हे. 20 की 0.2530 हे. मु.न. 59 कि.न. 18-23 की 0.5060 हैं. मु.न. 70 कि.न. 2/1 की 0.0380 रास्ता 2/2 की 0.2150 हे. 3/1 की 0.0380 रास्ता 3/2 की 0.2150 हे. किता 10 रकबा 1.6192 है. जिसमे 1.5182 हैक्ट नहरी बरानी व 0.1010 हैक्ट रास्ता भूमि
2. घडसीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति सेनी सा. 23 एनटीआर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट ऑफ इंडिया शाखा नोहर - (खाता संख्या 90) प.म. 22 एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 68 कि.न. 4/1 की 0.0380 रास्ता 4/2 की 0.2150 हे. 7-14 की 0.5060 हे. 17/1 की 0.1518 हैं. रकबा 0.9108 हे. नहरी 0.8728 हे. बरानी व 0.0380 रास्ता
3. गायत्री देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, दिनेश कुमार पुत्र रामकुमार सा.23 एनटीआर खातेदार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी, भगवंती देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर, भादरराम पुत्र महावीर हिस्सा- 1/8 जाति- सैनी सा.नोहर खातेदार, भीमराज पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, मनीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, मांगीलाल पुत्र महावीर हिस्सा 1/8 जाति- सैनी सा. नोहर खातेदार, लालचन्द पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, सोना देवी पत्नि रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार- (खाता संख्या 36) प.म. 22 एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 61 कि.न. 25/1 की 0.0250 हे. 25/2 की 0.2280 हे. मु.न. 60 कि.न. 16-17-18 की 0.7590 हे. 19/2 की 0.1518 हैं. 20 ता 25 की 1.5180 है. मु.न. 69 कि.न. 4 ता 7 की 1.0120 1.0120 हैं. 13 की 0.2530 हैं. मु.न. 59 कि.न. 16-17 की 0.5060 है. 19-22 की 1.0120 हैं. 24-25 की 0.5060 है. मु.न. 70 कि.न. 0 1 की 0.2530 है. 4-5 की 0.5060 हैं. कुल रकबा 6.4768 है. भूमि
4. गायत्री देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, दिनेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, भगवंती देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, भादरराम पुत्र महावीर हिस्सा 1/8 जाति- सैनी सा.नोहर खातेदार, भीमराज पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, मनीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, मांगीलाल पुत्र महावीर हिस्सा 1/8 जाति- सैनी सा.नोहर खातेदार, लालचन्द पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, सोना देवी पत्नि रामकुमार हिस्सा- 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार- (खाता संख्या 90) प.म. 22

एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 68 कि.न. 5-6-15-16 की 1.0120 हे. 17/2 की 0.1012 हे. मु.न. 69 कि.न. 1-2-3 की 0.7590 हे. 8 ता 12 की 1.2650 हे. 19-20 की 0.5060 हे. कुल रकबा 3.6432 हे. भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23/09/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव L.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण सं०:- 544 / 2023

अनवान : -

1. घडसीराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर नोहर।

- वादी

बनाम्

1. गायत्री देवी पुत्री रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. दिनेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. भगवन्ती देवी पुत्री रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
4. भीमराज पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. लालचन्द पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सोना पत्नी रामकुमार जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
8. चन्द्रकला उर्फ चन्द्रावली पुत्री महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
9. भादरराम पुत्र महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
10. मन्जु पुत्री जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
11. मेवा देवी पुत्री महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
12. मांगीलाल पुत्र महावीर जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
13. कलावती पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
14. भंवरी देवी पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
15. सावत्री पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
16. हेमलता पुत्री सोना देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली निवासी चक 23 एनटीआर तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 544 सन 2023 निर्णय दिनांक 23/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं० 36/34 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि व खाता सं० 90/87 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. घडसीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता ऑफ इंडिया शाखा नोहर खाता) स्टेट बैंक इंडिया शाखा नोहर-(खाता संख्या 36) प.म. 22 एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 61 कि.न. 16/1 की 0.0250 रास्ता 16/2 की 0.2280 हे. मु.न. 60 कि.न. 19/1 की 0.1012 हे. 20 की 0.2530 हे. मु.न. 59 कि.न. 18-23 की 0.5060 है. मु.न. 70 कि.न. 2/1 की 0.0380 रास्ता 2/2 की 0.2150 हे. 3/1 की 0.0380 रास्ता 3/2 की 0.2150 हे. किता 10 रकबा 1.6192 है. जिसमे 1.5182 हैक्ट नहरी बरानी व 0.1010 हैक्ट रास्ता भूमि

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2. घडसीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा पूर्ण जाति सैनी सा. 23 एनटीआर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट ऑफ इंडिया शाखा नोहर - (खाता संख्या 90) प.म. 22 एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 68 कि.न. 4/1 की 0.0380 रास्ता 4/2 की 0.2150 हे. 7-14 की 0.5060 हे. 17/1 की 0.1518 है. रकबा 0.9108 हे. नहरी 0.8728 हे. बारानी व 0.0380 रास्ता
3. गायत्री देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, दिनेश कुमार पुत्र रामकुमार सा.23 एनटीआर खातेदार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी, भगवंती देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर, भादरराम पुत्र महावीर हिस्सा- 1/8 जाति- सैनी सा.नोहर खातेदार, भीमराज पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, मनीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, मांगीलाल पुत्र महावीर हिस्सा 1/8 जाति- सैनी सा. नोहर खातेदार, लालचन्द पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, सोना देवी पत्नि रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार- (खाता संख्या 36) प.म. 22 एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 61 कि.न. 25/1 की 0.0250 हे. 25/2 की 0.2280 हे. मु.न. 60 कि.न. 16-17-18 की 0.7590 हे. 19/2 की 0.1518 है. 20 ता 25 की 1.5180 है. मु.न. 69 कि.न. 4 ता 7 की 1.0120 1.0120 है. 13 की 0.2530 है. मु.न. 59 कि.न. 16-17 की 0.5060 है. 19-22 की 1.0120 है. 24-25 की 0.5060 है. मु.न. 70 कि.न. 0 1 की 0.2530 है. 4-5 की 0.5060 है. कुल रकबा 6.4768 है. भूमि
4. गायत्री देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, दिनेश कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, भगवंती देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, भादरराम पुत्र महावीर हिस्सा 1/8 जाति- सैनी सा.नोहर खातेदार, भीमराज पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार, मनीराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, मांगीलाल पुत्र महावीर हिस्सा 1/8 जाति- सैनी सा.नोहर खातेदार, लालचन्द पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/4 जाति सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा परलीका, सोना देवी पत्नि रामकुमार हिस्सा- 1/20 जाति- सैनी सा.23 एनटीआर खातेदार- (खाता संख्या 90) प.म. 22 एनटीआर के चक 23 एनटीआर के मु.न. 68 कि.न. 5-6-15-16 की 1.0120 हे. 17/2 की 0.1012 हे. मु.न. 69 कि.न. 1-2-3 की 0.7590 हे. 8 ता 12 की 1.2650 हे. 19-20 की 0.5060 हे. कुल रकबा 3.6432 हे. भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक ...23/09/25... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर